न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
भू–राजस्व निगरानी संख्या– 26/2011–12 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्री राधेश्याम
बनाम
श्री सुरेश चन्द्र आदि

बावत
मौजा–अधोईवाला, परगना परवादून,
तहसील व जनपद देहरादून।

आदेश

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–32/2006–07 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम सुरेश चन्द्र बनाम मामचन्द आदि में पारित आदेश दिनांक 14–08–2012 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी श्री सुरेश चन्द्र द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में परगनाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र में सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी ने तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08–08–2006 सहायक कलेक्टर को प्रेषित की गई। इस रिपोर्ट पर सहायक कलेक्टर ने इस आशय का आदेश दिनांक 14–08–2012 को पारित किया कि तहसीलदार द्वारा लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या मात्र अग्रसारित की गई है जो स्पष्ट नहीं है। अतः तहसीलदार वाद दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त स्पष्ट रूप से अपनी संस्तुति सहित पत्रावली अन्तिम आदेश हेतु यथाशीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें। इसी आदेश के बिरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही अपनी रिपोर्ट को अग्रसारित किया गया था। अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया कि तहसीलदार एवं अन्य की स्पष्ट रिपोर्ट पत्रावली पर प्राप्त हो चुकी है। सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी) द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी का तर्क है कि निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अन्तरिम आदेश के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित नहीं की है। फलस्वरूप सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 14–08–2012 से पत्रावली तहसीलदार को स्पष्ट आख्या प्रेषित करने हेतु पुनः भेजी है। इस आदेश के अवलोकन से विदित है कि सहायक कलेक्टर(प्रथम श्रेणी) तहसीलदार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, परन्तु उनके आदेश दिनांक 14–08–2012 से फरीकान को कोई नुक्सान नहीं है।

अतः निगरानीअपरिपक्व (Premature) होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 12 अगस्त, 2013

(एस0के0 मुद्दू)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।